No. NCSC-CCELL-06/1/2022-UA-(Admin)

Government of India
National Commission for Scheduled Castes
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

*****

5th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 18th, January 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Minutes of the 1st to 4th Meeting of the 6th Commission of National Commission for Scheduled Castes held on 17th March 2021, 01st April 2021, 23rd August 2021 and 20th September, 2021-reg

The undersigned is directed to say that the 1st , 2nd, 3rd and 4th Full Commission Meeting of the 6th Commission of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) were held under the Chairmanship of Hon'ble Chairman, National Commission of Scheduled Castes (NCSC) in his chamber on 17.03.2021, 01.04.2021, 23.08.2021 and 20.09.2021 respectively at 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.

2. The Minutes of the above said meetings are circulated herewith for information and taking necessary action by all concerned.

(Jitendra Sihwag)
Under Secretary to the Government of India

Copy to: -

1. Sr. PPS to Hon'ble Chairman, NCSC.
2. PS to Hon'ble vice-Chairman, NCSC.
3. PS to Hon'ble Member (SRP), NCSC.
4. PS to Hon'ble Member (AB), NCSC.
5. Sr. PPS to Secretary, NSCS.
6. PA to Joint Secretary, NCSC.
7. All Directors & Under Secretaries in NCSC.
8. Guard File

1st Full Commission Meeting held on 17.03.2021

1st Meeting of the 6th Commission of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) was held on 17th March, 2021 at 11.00 AM under the Chairmanship of Shri Vijay Sampla, Hon'ble Chairman, NCSC. The agenda items and the decision taken thereon in the meeting are as under:

Agenda item no. 1: Draft Memorandum for the Expenditure Finance Committee for the Centrally Sponsored Scheme for effective implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

The Commission studied the proposal of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Social Justice & Empowerment vide Office Memorandum No. 11014/1/2017-PCR (Desk) dated-19.01.2021 sending a copy of the draft Memorandum for the Expenditure Finance Committee for the Centrally sponsored Scheme for effective implementation of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 wherein it sought comments of the National Commission for Scheduled Castes thereon. As the Commission was not in existence at that time, comments of the Secretariat of NCSC was sent to M/o SJ&E, D/o SJ&E with the approval of Secretary, NCSC. Comments sent with the approval of Secretary, NCSC were placed before the Commission for ex-post facto approval of the Commission.

Decision Taken: The Commission ratified the comments sent with the approval of Secretary, NCSC.

Agenda item no. 2: Representation from Shri. Achchhey Lal, R/o F-81, Sector-20, Noida, District: Gautam Budh Nagar, U.P. regarding denial of consequential seniority guaranteed under Article 16(4A) of the Constitution by Department of Telecommunication (DoT) and MTNL.

The Commission was informed that the Petitioners Shri. Achchhey Lal and others working in MTNL represented to the Commission about non-fixation of seniority and non-implementation of 85th Constitutional Amendment Act, 2001 which provides for restoration of seniority of

SC/ST Government servants on promotion by virtue of rules of reservation as per DoPT O.M. dated 21.01.2002.

Decision Taken: The Commission decided that a hearing may be held in the matter before the full Commission on 22.04.2021 at 11.00 AM with DoPT, MTNL and DoT. Petitioner may also be called for hearing.

Agenda item no. 3: Representation from Shri Rajesh Kumar Tomar, Commandant, ITBP, SHQ (Sri Nagar), ITBP Jeewan Camp, Pantha Chowk, Srinagar, Jammu& Kashmir regarding deliberate harassment at the verge of promotion by Shri Kapil Dwivedi, DIG, ITBP.

The Commission was informed that the Petitioner Shri Rajesh Kumar Tomar, Commandant, ITBP, SHQ (Srinagar), ITBP Jeewan Camp, Pantha Chowk, Srinagar, Jammu & Kashmir vide his representation dated-01.03.2019 alleged deliberate harassment to him at the verge of promotion. The matter was heard by the earlier Commission on 04.06.2019 and the Commission had recommended that Shri Kapil Dwivedi be transferred to another location so that he may not influence his subordinates and does not interfere in inquiry. The Commission also decided that since the matter is now being heard by the Commission, therefore till the proceedings of the Commission are over, the Court of Inquiry (COI) may be kept in abeyance. On 16.10.2019 the then Vice-Chairman had referred the matter to full Commission and accordingly the matter was placed before the full Commission.

Decision Taken: The Commission decided that a hearing may be held in the matter before the Full Commission on 22.04.2021 at 12.00 Noon with officers of ITBP. Petitioner may also be called for hearing.

Agenda item no. 4: MoU between NCSC and LBSNAA.

The Commission was informed that to take advantage of the vast experience and large resources of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) for the larger benefit of Scheduled Castes community, National Commission for Scheduled Castes (NCSC) proposes to enter into partnership with LBSNAA through a Memorandum of Understanding (MoU). Commission was also informed that MSJE has agreed to provide whatever fund is

required for executing the MoU and that with regard to anticipated expenditure for setting up and carrying out the objectives of the MoU, LBSNAA has requested for sanctioning a sum of Rs. 3.00 Crore for this Financial Year.

Decision Taken: The Commission decided to first discuss the matter with MSJE and thereafter take a call in the matter.

Agenda item no. 5: MoU between NCSC and BISAG.

The Commission was informed that NCSC is planning to roll out IT enabled e-Filing Portal for online filing and handling of complaints including mobile application and revamping of the NCSC website. This is proposed to be done with the help of Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N). The Commission was also informed that BISAG-N has agreed to provide its services on pro bono basis. A presentation on the proposed on line applications including upgradation of the website was also made to the Commission by Shri Vinay Thakur, Additional Director General, BISAG.

Decision Taken: The Commission agreed with the proposal.

Agenda item no.6: Memo for Expenditure Finance Committee (EFC) for revision of the funding pattern under the "Pre-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes Students and Others".

The Commission was informed that M/o Social Justice & Empowerment, D/o Social Justice & Empowerment vide O.M. No. K-11027/1/2021-SCD-V dated 20.01.2021 had sent a Memo for Expenditure Finance Committee (EFC) for revision of the funding pattern under the "Pre-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes Students and Other" and sought comments of the Commission. As the Commission was not in existence at that time, comments of the Secretariat of NCSC were sent to M/o SJ&E, D/o SJ&E with the approval of Secretary, NCSC. Comments sent with the approval of Secretary, NCSC were placed before the Commission for ex-post facto approval of the Commission.

Decision Taken: The Commission ratified the comments sent with the approval of Secretary, NCSC.

Agenda item no. 7: Agenda Notes on Memo for Standing Finance Committee (SFC) for Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers.

The Commission was informed that M/o Social Justice & Empowerment, D/o Social Justice & Empowerment vide O.M. No. K-19014/04/2020-SCD-IV dated-01.02.2021 had sent a Memo for Standing Finance Committee (SFC) for the scheme Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers for comments of the Commission. As the Commission was not in existence at that time, comments of the Secretariat of NCSC were sent to M/o SJ&E, D/o SJ&E with the approval of Secretary, NCSC. Comments sent with the approval of Secretary, NCSC were placed before the Commission for ex-post facto approval of the Commission

Decision Taken: The Commission ratified the comments sent with the approval of Secretary, NCSC.

Agenda item no. 8: Memo for Expenditure Finance Committee (EFC) for continuation of PM-Dakshta Yojana for 5 years (2021-22 to 2025-26).

The Commission was informed that M/o Social Justice & Empowerment, D/o Social Justice & Empowerment vide O.M. No. 7/24-2020-PLAN dated-09.02.2021 had sent a Memo for Expenditure Finance Committee (EFC) for continuation of PM-Dakshta Yojana for 5 years (2020-21 to 2025-26) and sought comments of the Commission. As the Commission was not in existence at that time, comments of the Secretariat of NCSC were sent to M/o SJ&E, D/o SJ&E with the approval of Secretary, NCSC. Comments sent with the approval of Secretary, NCSC were placed before the Commission for ex-post facto approval of the Commission

Decision Taken: The Commission ratified the comments sent with the approval of Secretary, NCSC.

Agenda item no. 9: Shifting of NCSC State Office Pune to Mumbai.

The Commission was informed that Shri Subhash Ramnath Pardhi, Hon’ble Member has proposed for shifting of the NCSC State Office Pune to Mumbai as Mumbai is the Capital of

Maharashtra and Head offices of all the departments are in Mumbai. It is easy to get flights from Mumbai to neighboring states/cities like Goa, Hyderabad, Madhya Pradesh etc.

Decision Taken: The Commission agreed with the proposal and also decided that after shifting of the state office from Pune to Mumbai, the office space occupied by State Office Pune may not be vacated and it may be made a memorial place associated with Dr. B.R. Ambedkar. After the office accommodation at Mumbai becomes available, a separate proposal should be put to the Commission for its alternate use.

Agenda item no. 10: Dispensing with Rules of Procedure (ROP) of the year 2020 and adoption of Rules of Procedure (ROP) of the year 2009.

Dr. Anju Bala, Hon'ble Member of the Commission proposed that Rules of Procedure (ROP) of the Commission made in the year 2020 be dispensed with and the old Rules of Procedure of the year 2009 be adopted. Secretary, NCSC clarified that ROP 2020 were adopted prior to his joining NCSC. ROP 2020 was adopted during the tenure of then Secretary, NCSC and the present Joint Secretary, NCSC.

Decision Taken: The Commission agreed with the proposal to dispense with Rules of Procedure of the year 2020 and adopt Rules of Procedure of the year 2009. It was also decided by the Commission that if there are issues with respect to Rules of Procedure of the year 2009, that may be looked into as and when it arises.

Following Decisions were also Taken by the Commission:

- Allocation of fund to NCSC State Office Lucknow be done immediately.
- Present sanctioned strength of staff vis-a-vis requirement of staff in NCSC be assessed. Vacant posts at all level be filled at the earliest.
- Revamping/Modernization of Library be pursued.
- Opening of 09 New State Offices of NCSC be taken up with MSJE.
- Nodal Officer for SC/ST in the Commission be appointed immediately.

2nd Full Commission Meeting held on 01.04.2021

2nd Meeting of the 6th Commission of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) was held on 01.04.2021 at 11.00 AM under the Chairmanship of Shri. Vijay Sampla, Chairman, NCSC. The agenda items and the decision taken thereon in the meeting are as under:

Agenda item no. 1: Filling up of vacant posts in the Commission.

Decision Taken: For Group-A posts lying vacant whose cadre controlling authority is with Ministry of Social Justice & Empowerment(MSJE) and the appointments are made by MSJE, a letter may be sent to MSJE to fill all Gr-A posts lying vacant. For Gr.-B and Gr.-C posts lying vacant whose cadre controlling authority is with National Commission for Scheduled Castes(NCSC), immediate action shall be taken for filling up all of the vacant posts of Gr.-B and Gr.-C. A note shall be put up to the commission on 05.04.2021 giving a comprehensive picture of the vacancies and future course of action.

Agenda item no. 2: Permanent conferring of rank of Cabinet Minister and Minister of State to Chairman and Vice-Chairman respectively.

Decision Taken: In National Commission for Scheduled Tribes(NCST), Chairman and Vice-Chairman enjoy the rank of Cabinet Minister and Minister of State, respectively, by default. The matter is to be taken up with MSJE for conferring similar rank of Cabinet Minister and Minister of State to Hon'ble Chairman, NCSC and Vice-Chairman, NCSC respectively at the time of their initial appointment to the Commission.

Agenda item no. 3: Accompanying of PS/PA with their Vice-Chairman/Members during official tour.

Decision Taken: Vice-Chairman and Members of the Commission to be entitled to take their Private Secretary/Personal Assistant along with them on their official tour and the restriction imposed earlier by the MSJE should be taken up for review. Till the matter is resolved, PS/ PA should be permitted as the new Commission members need help during their official tours.

Agenda item no. 4: Provision of vehicle to Chairman/ Vice-Chairman/ Members during their official journey to States.

Decision Taken: Vehicles shall be made available in all the state Offices where there is post of Director. All the old vehicles which are not running smoothly may be condemned and either new vehicle may be purchased or vehicle may be hired on a monthly rental basis in lieu of those condemned vehicles. Decision regarding purchase of new vehicle and hiring of vehicles may be taken on case-to-case basis in consultation with Chairman/Vice-Chairman/ Members concerned. All the State Offices are authorized to hire vehicle at other stations in jurisdiction during official tour of Chairman/ Vice Chairman/ Members. Payment on account of hiring of vehicle to be made from Office Expenses Head of the concerned State Office.

Agenda item no. 5: Provision of Rail Ticket for official journey.

Decision Taken: Like Air Ticket is provided to Chairman, Vice-Chairman, Members for their official journey; on the same lines efforts shall be made for providing Rail Ticket to Chairman, Vice-Chairman, Members, and their Private Secretary/ Personal Assistant. Matter may be taken up with Balmer & Lawrie and Ashoka Travels.

Agenda item no. 6: Allotment of Bungalow No.6, 8 and 10 at Dr. Rajendra Prasad for having NCSC's own office building.

Decision Taken: Efforts may be made to put in a request to earmark space for housing Commission's Headquarter in Central Vista. NBCC may be invited for suggesting options of about 25000 sq. feet of space with N.B.C.C. in office complex, which is under construction at Nauroji Nagar, Delhi for housing Commission's Headquarter. A presentation may be made by NBCC so that further necessary action may be taken. The matter taken up earlier for allotment of Bungalow No. 6,8 and 10 at Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi for construction of Commission's Headquarter may also be revived and followed up.

Agenda item no. 7: Template of Annual Report of NCSC.

Decision Taken: The Annual Reports of other institutions like National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Women etc. may be studied and the format of the Annual Report of the Commission may be revised.

Agenda item no. 8: Office Space for State Office Kolkata.

Decision Taken: Immediate action shall be taken for shifting of NCSC State Office Kolkata at the new office building/space being provided by Central Public Works Department.

Agenda item no. 9: Disposal of Old Files.

Decision Taken: Additional capable people may be hired so that pending old files are properly classified and files not in use are disposed, as per extant instructions on the subject so that number of pending files get reduced.

Agenda item no. 10: MoU with BISAG-N.

Decision Taken: For proper monitoring of complaints received in the Commission, an IT enabled e-filing portal and Mobile application is being developed by Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N). Another representation in this regard was made to the Commission by Sh. Vinay Thakur, Additional Director General, BISAG-N. IT enabled e-filing portal and mobile Application is proposed to be launched on 14.04.2021. Before its formal launching, BISAG-N will make its soft launch on 07.04.2021.

Agenda item no. 11: Other decisions taken by the Commission.

Decision Taken: Except Uttar Pradesh and Uttarakhand, all the States and UTs provide the status of State Guest to Chairman, Vice-Chairman, Members of the Commission on their official tour. Matter may be taken up with State Government of Uttar Pradesh and Uttarakhand for giving status of state Guest to Chairman, Vice-Chairman and members of the Commission on their official journey.

3rd Full Commission Meeting held on 23.08.2021

3rd Meeting of the 6th Commission of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) was held on 23.08.2021 at 11.00 AM under the Chairmanship of Shri Vijay Sampla, Chairman, NCSC. The following important agenda items were taken up for discussion & decisions:

Agenda item no. 1: Submission of Annual Report of the Commission to Hon'ble President of India for the period 2018-19 & 2019-20.

Decision taken: Annual Report of the Commission for the period 2018-19 & 2019-20 was approved for submission to the Hon'ble President of India.

Agenda item no. 2: Conferring of permanent status of rank of Cabinet Minister to Hon'ble Chairman, NCSC and Minster of State rank to Hon'ble Vice-Chairman, NCSC.

Decision taken: It was decided that the matter of conferring the status of rank of Cabinet Minister to Hon'ble Chairman, NCSC and Minister of State rank to Hon'ble Vice-Chairman, NCSC may be taken up with MHA through Ministry of SJ&E. This issue has already been taken up with MSJE for conferring similar rank of Cabinet Minister and Minister of State to Hon'ble Chairman, NCSC and Vice-Chairman, NCSC respectively vide letter dated 08.04.2021. It was decided to take up the matter again with MSJE.

Agenda item no. 3: Creation of Legal Cell with officers from Ministry of Law & Justice.

Decision taken: Keeping in view of increasing Court cases and work pressure on the existing man power, the Commission decided to set up a legal cell with officers from Ministry of Law & Justice as Consultants on contract basis to handle all the litigation matters relating to NCSC Hqrs. and its State Offices.

Agenda item no. 4: Relaxation in eligibility criteria for the post of Director as prescribed in the Recruitment Rules (RR) for appointment on deputation basis.

Decision taken: The Commission felt that the main reason for persistent large number of vacancies in Joint cadre posts is the rigid/ restrictive eligibility conditions.

09 sanctioned posts of Director are deputation posts. Very few applications are received from the eligible candidates for the deputation due to the higher level of education qualifications prescribed in the RRs. The Commission decided to review the RRs and recommended for 'Graduate in any discipline' as the minimum education qualification for the post. The matter may be taken up with MSJE and DoPT for amendment in the RRs.

Agenda item no. 5: Opening of exclusive police post for handling the grievances of SCs referred to the NCSC.

Decision taken: The Commission receives a large number of complaints of atrocities on Scheduled Castes under PoA and PCR Acts. In order to deal with the grievances of petitioners effectively and to have better coordination with police personnel, an exclusive police post would be of immense help. The Commission decided to take up the matter of establishment of separate police post in the National Capital i.e. New Delhi on pilot basis with Ministry of MHA.

Agenda item no. 6: Opening of new State Office in Bhopal, Madhya Pradesh.

Decision taken: The Commission decided to move a proposal for opening of a new State Office at Bhopal for catering to the needs of Scheduled Castes population in Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

4th Full Commission Meeting held on 20.09.2021

4th Meeting of the 6th Commission of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) was held on 20.09.2021 at 12.30 PM under the Chairmanship of Shri Vijay Sampla, Chairman, NCSC. The following important agenda items were taken up for discussion & decisions:

Agenda item no. 1: State Level Review and Review of PSUs of Central and State Government/Banks and other Institutions and Government departments.

Decision taken: The Commission decided that the unfinished tasks of Review of State Government, Review of Public Sector undertakings of both Central and State Government undertaking be taken up on priority basis.

Agenda item no. 2: Filling up of vacant Joint Cadre posts of Director/Deputy Director and Assistant Director.

Decision taken: The Commission desired expediting the filling up posts of joint cadre of Director, Deputy Director and Assistant Director. The posts were advertised and in response to that the Commission has received 25 Applications for the post of Director and 09 each for Deputy Director and Assistant Director.

The Commission agreed with the proposal for forwarding these applications to MSJE, the cadre controlling authority to conduct the interview for selection of suitable officers for appointment in the Commission.

Agenda item no. 3: Filling up of remaining posts of LDCs.

Decision taken: Out of the thirteen vacancies reported to SSC, only ten LDCs were nominated by Staff Selection Commission and only seven have joined. SSC may be requested to fill up the remaining six vacancies.

Agenda item no. 4: Management of online portal

Decision taken: The commission agreed for hiring of additional manpower of minimum of five technical personnel to manage the online portal effectively and purposefully.

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 17.03.2021 को हुई प्रथम बैठक की कार्यसूची।</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम बैठक 17.03.2021 को प्रात: 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष श्री विजय साम्पला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में चर्चित विषय एवं उस पर लिए गये निर्णय तदनुसार हैं:

कार्यसूची की मद संख्या 1: सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर व्यय वित्त समिति हेतु मसौदा ज्ञापन।

आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11014/1/2017-पीसीआर (डेस्क) दिनांक 19.01.2021 के तहत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के लिए व्यय वित्त समिति के मसौदे ज्ञापन की एक प्रति भेजने के प्रस्ताव का अध्ययन किया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टिप्पणियां मांगी गयी थी ।चूंकि, आयोग उस समय अस्तित्व में नहीं था, इसलिए एनसीएससी के सचिवालय की टिप्पणियों को सचिव, एनसीएससी के अनुमोदन से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को भेजा गया था।आयोग के सचिव के अनुमोदन से भेजी गई टिप्पणियों को आयोग के कार्योतर अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा गया था।

लिया गया निर्णय: आयोग ने सचिव, आयोग के अनुमोदन से भेजी गई टिप्पणियों की पुष्टि की।

कार्यसूची की मद संख्या 2 : दूरसंचार विभाग(डीओटी) और एमटीएनएल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) के तहत प्रत्याभूत परिणामी वरिष्ठता को अस्वीकार

करने के संबंध में श्री अच्छे लाल, निवासी एफ-81, सेक्टर-20, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभ्यावेदन।

आयोग को सूचित किया गया कि एमटीएनएल में कार्यरत याचिकाकर्ता श्री अच्छे लाल और अन्य लोगों ने वरिष्ठता का निर्धारण न करने और 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001, जिसमें डीओपीटी के दिनांक 21.01.2002 के का. ज्ञा. के अनुसार आरक्षण के नियमों के आधार पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता बहाल करने का प्रावधान है, को लागू न करने के बारे में आयोग को अभ्यावेदन किया।

लिया गया निर्णय: आयोग ने निर्णय लिया कि इस मामले में 22.04.2021 को प्रातः 11.00 बजे डीओपीटी, एमटीएनएल और डीओटी के साथ पूर्ण आयोग के समक्ष सुनवाई की जा सकती है। याचिकाकर्ता को भी सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है।

कार्यसूची की मद संख्या 3: पदोन्नति के कगार पर जानबूझकर श्री कपिल द्विवेदी, डीआईजी, आईटीबीपी द्वारा उत्पीड़न के संबंध में श्री राजेश कुमार तोमर, कमांडेंट, आईटीबीपी, एसएचक्यू (श्रीनगर), आईटीबीपी जीवन कैंप, पंथा चौक, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त अभ्यावेदन ।

आयोग को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता श्री राजेश कुमार तोमर, कमांडेंट, आईटीबीपी, एसएचक्यू (श्रीनगर), आईटीबीपी जीवन कैंप, पंथा चौक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर ने दिनांक 01.03.2019 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से पदोन्नति के कगार पर जानबूझकर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले की सुनवाई 04.06.2019 को पूर्व आयोग द्वारा की गई थी और आयोग ने संस्तुति की थी कि श्री कपिल द्विवेदी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वह अधीनस्थों को प्रभावित न कर सके और किसी भी जांच में हस्तक्षेप न कर पाएं। आयोग ने यह भी फैसला किया कि चूंकि इस मामले की सुनवाई अब आयोग द्वारा की जा रही है, इसलिए आयोग की कार्यवाही पूरी होने तक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) को स्थगित रखा जा सकता है। दिनांक 16.10.2019 को

तत्कालीन उपाध्यक्ष ने मामले को पूर्ण आयोग को संदर्भित किया और तदनुसार मामले को पूर्ण आयोग के समक्ष रखा गया था।

लिया गया निर्णय: आयोग ने निर्णय लिया कि आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ दिनांक 22.04.2021 को मध्याह्न 12.00 बजे पूर्ण आयोग के समक्ष इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। याचिकाकर्ता को भी सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है।

कार्यसूची की मद संख्या 4: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के बीच समझौता-ज्ञापन ।

आयोग को सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति समुदाय के व्यापक लाभ के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के व्यापक अनुभव और बड़े संसाधनों का लाभ उठाने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से एलबीएसएनएए के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव किया है। आयोग को यह भी सूचित किया गया था कि समझौता ज्ञापन तैयार करने और इसे निष्पादित करने के लिए और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्याशित व्यय के संबंध में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आवश्यकतानुसार निधियां उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो गया है। एलबीएसएनएए ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 3.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

लिया गया निर्णय: आयोग ने पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद इस मामले में निर्णय लिया ।

कार्यसूची की मद 5: एनसीएससी और बीआईएसएजी के बीच समझौता-ज्ञापन

आयोग को सूचित किया गया कि एनसीएससी ऑनलाइन ई-फाइलिंग और मोबाइल एप्लिकेशन सहित शिकायतों से निपटने और एनसीएससी वेबसाइट के नवीनीकरण के लिए आईटी सक्षम ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करने की योजना बना रहा है। यह भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स

(बीआईएसएजी-एन) की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है। आयोग को यह भी सूचित किया गया कि बीआईएसएजी-एन अपनी सेवाएं निशुल्क आधार पर प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। बीआईएसएजी के अपर महानिदेशक श्री विनय ठाकुर ने वेबसाइट के उन्नयन सहित प्रस्तावित ऑन लाइन आवेदनों पर एक प्रस्तुति भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

लिया गया निर्णय: आयोग ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।

कार्यसूची की मद 6: अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य लोगों के लिए 'मैट्रिक-पूर्वछात्रवृत्ति योजना' के तहत वित्त पोषण पैटर्न के संशोधन के लिए व्यय वित्त समिति के लिए ज्ञापन ।

आयोग को सूचित किया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दिनांक 20.01.2021 के का.ज्ञा.सं. के-11027/1/2021 के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य लोगों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना' के तहत वित्त पोषण पैटर्न के संशोधन हेतु व्यय वित्त समिति का ज्ञापन आयोग को भेजा और इस पर आयोग से टिप्पणी मांगी। चूंकि आयोग उस समय अस्तित्व में नहीं था, आयोग के सचिवालय की टिप्पणी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुमोदन से भेजी गई थी। सचिव के अनुमोदन के साथ भेजी गई टिप्पणियों को, आयोग की कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा गया ।

लिया गया निर्णय: आयोग द्वारा सचिव के अनुमोदन द्वारा भेजी गई टिप्पणियों को कार्योत्तर सहमति प्रदान की ।

कार्यसूची की मद-7: हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार स्कीम के लिए स्थायी वित्त समिति के लिए मसौदा ज्ञापन के संबंध में कार्यसूची टिप्पणी ।

आयोग को सूचित किया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के दिनांक 01.02.2021 के का.ज्ञा.सं. के-19014/04/2020-एससीडी-IV के तहत आयोग की टिप्पणियों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास की स्व रोजगार योजना के लिए स्थायी वित्त समिति के लिए एक ज्ञापन भेजा था। चूंकि आयोग उस समय अस्तित्व में नहीं था, आयोग के सचिवालय की टिप्पणी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुमोदन से भेजी गई थी। सचिव के अनुमोदन के साथ भेजी गई टिप्पणियों को, आयोग की कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा गया था।

लिया गया निर्णय: आयोग ने सचिव के अनुमोदन से भेजी गई टिप्पणियों पर कार्योत्तर सहमति प्रदान की।

कार्यसूची की मद 8: पीएम-दक्षता योजना को 5 वर्ष (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति के लिए ज्ञापन

आयोग को सूचित किया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के दिनांक 09.02.2021 के का.ज्ञा.सं. 7/24-2020-योजना के तहत प्रधानमंत्री-दक्षता योजना को 5 वर्षों (2020-21 से 2025-26 तक) के लिए जारी रखने हेतु व्यय वित्त समिति को एक ज्ञापन भेजा था और इस पर आयोग की राय मांगी थी । चूंकि आयोग उस समय अस्तित्व में नहीं था, आयोग के सचिवालय की टिप्पणी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुमोदन से भेजी गई थी। सचिव के अनुमोदन से भेजी गई टिप्पणियों को, आयोग की कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा गया था।

लिया गया निर्णय: आयोग ने सचिव के अनुमोदन से भेजी गई टिप्पणियों पर कार्योत्तर सहमति प्रदान की।

कार्यसूची की मद 9: आयोग राज्य कार्यालय को पुणे से मुम्बई स्थानांतरित करना।

आयोग को सूचित किया गया कि श्री सुभाष रामनाथ पारधी, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, पुणे को मुंबई में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और सभी विभागों के प्रमुख मुंबई में हैं। मुंबई से पड़ोसी राज्यों/शहरों जैसे गोवा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश आदि के लिए उड़ानें प्राप्त करना आसान है।

लिया गया निर्णय: आयोग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, पुणे को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य कार्यालय को पुणे से मुंबई स्थानांतरित करने के बाद, राज्य कार्यालय पुणे द्वारा धारित कार्यालय स्थल को खाली नहीं किया जाए और इसे एक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर से संबद्ध एक मेमोरियल स्थल बनाया जाये । मुंबई में कार्यालय स्थल प्राप्त हो जाने के पश्चात् आयोग को इसके वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ।

कार्यसूची की मद 10: वर्ष 2020 के प्रक्रिया नियमों (आरओपी) का हटा **और वर्ष 2009 के प्रक्रिया नियमों (आरओपी) को अपनाना।**

आयोग की माननीय सदस्य डॉ. अंजू बाला ने प्रस्ताव दिया कि वर्ष 2020 में बनाए गए आयोग के प्रक्रिया नियमों (आरओपी) को हटा दिया जाए और वर्ष 2009 के पुराने प्रक्रिया-नियमों को अपनाया जाए। सचिव, एनसीएससी ने स्पष्ट किया कि आरओपी-2020 को एनसीएससी में उनके कार्यभार संभालने से पहले अपनाया गया था। आरओपी-2020 को एनसीएससी के तत्कालीन सचिव और एनसीएससी के वर्तमान संयुक्त सचिव के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था।

लिया गया निर्णय: आयोग ने वर्ष 2020 के प्रक्रिया-नियमों को हटा कर वर्ष 2009 के प्रक्रिया-नियमों को अपनाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि वर्ष 2009 के प्रक्रिया-नियमों के संबंध में कोई समस्या है, तो जब भी यह उत्पन्न हो, उस पर ध्यान दिया जा सकता है।

आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए:

- एनसीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ को निधि का आवंटन तत्काल किया जाए।
- एनसीएससी में कर्मचारियों की आवश्यकता की तुलना में कर्मचारियों की वर्तमान स्वीकृत संख्या का आकलन किया जाए। सभी स्तरों पर रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।
- पुस्तकालय का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- एनसीएससी के 09 नए राज्य कार्यालय खोलने का कार्य एमएसजेई के साथ किया जाएगा।
- आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नोडल अधिकारी की तत्काल नियुक्ति की जाए।

01.04.2021 को आयोजित दूसरी पूर्ण आयोग की बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के छठे आयोग की दूसरी बैठक 01.04.2021 को प्रातः 11.00 बजे श्री विजय सांपला, अध्यक्ष, एनसीएससी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ।बैठक में कार्यसूची विषय और उन पर लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं:

कार्यसूची मद संख्या 1: आयोग में रिक्त पदों को भरना।

लिया गया निर्णय: रिक्त पड़े समूह-क पदों के लिए,जिनका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) है और नियुक्तियां एमएसजेई द्वारा की जाती हैं, खाली पड़े सभी समहू-क पदों को भरने के लिए एमएसजेई को एक पत्र भेजा जा सकता है। समूह-ख और समूह-ग के रिक्त पदों के लिए,जिनका संवर्ग नियंत्रण अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के पास है, समूह-ख और समूह-ग के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आयोग को 05.04.2021 को एक नोट दिया जाएगा जिसमें रिक्तियों और भविष्य की कार्रवाई की व्यापक तस्वीर होगी।

कार्यसूची मद संख्या 2: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का रैंक स्थायी रूप से प्रदान करना।

लिया गया निर्णय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, डिफ़ॉल्ट रूप से, माननीय अध्यक्ष, एनसीएससी और उपाध्यक्ष, एनसीएससी को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का समान दर्जा देने के लिए एमएसजेई के साथ मामला उठाया जाना है।

कार्यसूची मद संख्या 3: आधिकारिक दौरे के दौरान उपाध्यक्ष/सदस्यों के साथ उनके पीएस/पीए को ले जाना।

लिया गया निर्णय: आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य अपने निजी सचिव/निजी सहायक को अपने आधिकारिक दौरे पर अपने साथ ले जाने के पात्र होंगे और एमएसजेई द्वारा पहले लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा की जानी चाहिए। जब तक मामला हल नहीं हो जाता, तब तक पीएस/पीए को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि नए आयोग के सदस्यों को अपने आधिकारिक दौरों के दौरान उनकी सहायता की आवश्यकता होती है।

कार्यसूची मद संख्या 4: राज्यों की आधिकारिक यात्रा के दौरान अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के लिए वाहन का प्रावधान।

लिया गया निर्णय: वाहन उन सभी राज्य कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां निदेशक का पद है। सभी पुराने वाहन जो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, उन्हें कंडम किया जा सकता है और या तो नया वाहन खरीदा जा सकता है या उन कंडम वाहनों की जगह मासिक किराये के आधार पर वाहन किराए पर लिया जा सकता है। किस नए वाहन की खरीद की जानी है और किस स्थिति में वाहन किराए पर लिया जाना है, इसका निर्णय संबंधित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के परामर्श से मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाना है। सभी राज्य कार्यालयों को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के आधिकारिक दौरे के दौरान क्षेत्राधिकार में अन्य स्टेशनों पर वाहन किराए पर लेने के लिए अधिकृत किया गया है। वाहन किराए पर लेने के लिए भुगतान संबंधित राज्य कार्यालय के कार्यालय व्यय शीर्ष से किया जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या 5: आधिकारिक यात्रा के लिए रेल टिकट का प्रावधान।

लिया गया निर्णय: जिस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को उनकी आधिकारिक यात्रा के लिए हवाई टिकट प्रदान किया जाता है; उसी तर्ज पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और उनके निजी सचिव/निजी सहायक को रेल टिकट प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस मामले को बामर एंड लॉरी और अशोका ट्रैवल्स के समक्ष उठाया जा सकता है।

कार्यसूची मद संख्या 6: एनसीएससी के अपने कार्यालय भवन के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर बंगला नंबर 6, 8 और 10 का आवंटन।

लिया गया निर्णय: सेंट्रल विस्टा में आयोग मुख्यालय के लिए जगह निर्धारित करने के लिए अनुरोध करने के प्रयास किए जा सकते हैं। आयोग मुख्यालय के लिए नारौजी नगर, दिल्ली में निर्माणाधीन कार्यालय परिसर में लगभग 25000 वर्ग फुट स्थान के विकल्पों का सुझाव देने के लिए एनबीसीसी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। एनबीसीसी द्वारा एक प्रस्तुति दी जा सकती है ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आयोग मुख्यालय के निर्माण के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में बंगला संख्या 6, 8 और 10 के आवंटन के लिए पहले उठाए गए मामले को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है।

कार्यसूची मद संख्या 7: एनसीएससी की वार्षिक रिपोर्ट का टेम्पलेट।

लिया गया निर्णय: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि जैसे अन्य संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन किया जा सकता है और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप को संशोधित किया जा सकता है।

कार्यसूची मद संख्या 8: राज्य कार्यालय कोलकाता के लिए कार्यालय स्थान।

लिया गया निर्णय: एनसीएससी राज्य कार्यालय कोलकाता को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे नए कार्यालय भवन/स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 9: पुरानी फ़ाइलों का निपटान।

लिया गया निर्णय: अतिरिक्त सक्षम लोगों को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि हजारों लंबित पुरानी फाइलों को ठीक से वर्गीकृत किया जा सके और उपयोग में

नहीं आने वाली फाइलों को यथासंभव निपटाया जा सके ताकि लंबित फाइलों की संख्या कम की जा सके।

कार्यसूची मद संख्या 10: बीआईएसएजी के साथ समझौता ज्ञापन।

आयोग में प्राप्त शिकायतों की उचित निगरानी के लिए भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा एक आईटी सक्षम ई-फाइलिंग पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में बीआईएसएजी के अपर महानिदेशक श्री विनय ठाकुर ने आयोग को एक अन्य प्रस्तुतीकरण दिया। आईटी सक्षम ई-फाइलिंग पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन को 14.04.2021 को लॉन्च करने का प्रस्ताव है। अपने औपचारिक लॉन्च से पहले, बीआईएसएजी 07.04.2021 को अपना सॉफ्ट लॉन्च करेगा।

कार्यसूची मद संख्या 11: आयोग द्वारा लिए गए अन्य निर्णय।

लिया गया निर्णय: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर, देश के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को उनकी आधिकारिक यात्रा पर राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान करते हैं। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को उनकी आधिकारिक यात्रा पर राज्य अतिथि का दर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ मामला उठाया जा सकता है।

दिनांक 23.08.2021 को हुई पूर्ण आयोग की तीसरी बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के छठे आयोग की तीसरी बैठक 23.08.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे श्री विजय सांपला, अध्यक्ष की अध्यक्षता में

आयोजित की गई थी । निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यसूची मदों पर चर्चा करके निर्णय लिए गए:

कार्यसूची की मद सं. 1: 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि की आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया है।

कार्यसूची की मद सं. 2: माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का स्थायी दर्जा प्रदान करना।

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को क्रमश: कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करने के मामले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय के साथ उठाने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे को आयोग ने दिनांक 08.04.2021 के पत्र के माध्यम से वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करने के लिए पहले उठाया गया है। इस मामले को एमएसजेई के साथ उठाने का निर्णय लिया गया है ।

कार्यसूची की मद सं. 3: विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कानूनी प्रकोष्ठ का निर्माण।

बढ़ते अदालती मामलों और मौजूदा जनशक्ति पर काम के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, आयोग मुख्यालय और इसके राज्य कार्यालयों से संबंधित सभी अदालती मामलों को देखने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर एक कानूनी प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव है ।

कार्यसूची की मद सं. 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियम (आरआर) में निदेशक के पद के लिए यथा निर्धारित पात्रता मानदंड में छूट।

आयोग ने महसूस किया कि संयुक्त संवर्ग पदों में लगातार बड़ी संख्या में रिक्तियां होने का मुख्य कारण सख्त एवं जटिल पात्रता शर्तें हैं । प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती के लिए निदेशक के 09 संस्वीकृत पद हैं। भर्ती-नियमों में निर्धारित उच्च स्तर की शिक्षा योग्यता के कारण प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से कुछ ही आवेदन प्राप्त हुए हैं । इसलिए, आयोग ने उक्त पदों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता 'किसी भी विषय में स्नातक' निर्धारित करने का निर्णय लिया है । इस मामले को भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन के लिए एमएसजेई और डीओपीटी के साथ उठाया जा सकता है ।

कार्यसूची की मद सं. 5: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संदर्भित अनुसूचित जाति की शिकायतों से निपटने के लिए विशेष पुलिस चौकी खोलना।

आयोग को अत्याचार निवारण अधिनियम और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की काफी शिकायतें मिल रही हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटान करने के लिए और पुलिस कर्मियों और विशेष पुलिस चौकी के साथ बेहतर समन्वय रखने में बहुत सहायता मिलेगी। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी अर्थात नई दिल्ली में अलग से पुलिस चौकी स्थापित करने के मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाने का निर्णय लिया है।

कार्यसूची की मद सं. 6: भोपाल, मध्य प्रदेश में नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोपाल में नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन ।

20.09.2021 को हुई पूर्ण आयोग की चौथी बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के छठे आयोग की चौथी बैठक 20.09.2021 को 12.30 बजे अपराह्न श्री विजय सांपला, अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी । कार्यसूची मदों पर चर्चा करके निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

कार्यसूची की मद सं. 1: केंद्र और राज्य सरकार के पीएसयू/बैंकों और अन्य संस्थानों और सरकारी विभागों की राज्य स्तरीय समीक्षा।

आयोग ने राज्य स्तरीय समीक्षा/केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और अन्य संस्थानों और सरकारी विभागों की समीक्षा कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया है।

कार्यसूची की मद सं. 2: निदेशक/उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद को भरने के लिए प्राप्त आवेदन।

आयोग ने निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के संयुक्त संवर्ग में रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की इच्छा व्यक्त की। इन पदों के लिए विज्ञापन दिया गया और इसके उत्तर में आयोग को निदेशक के पद हेतु 25 आवेदन और उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद के लिए 09 आवेदन प्राप्त हुए।

आयोग ने इन आवेदनों को उपयुक्त अधिकारियों के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित करके आयोग में नियुक्ति हेतु भेजने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण अर्थात् एमएसजेई के पास अग्रेषित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की ।

कार्यसूची की मद सं. 3 : अवर श्रेणी लिपिकों के शेष पदों को भरना।

कर्मचारी चयन आयोग को सूचित की गई तेरह रिक्तियों में से केवल दस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित हैं और इनमें से केवल सात उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण किया है। शेष छह रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया जाना है।

कार्यसूची की मद सं. 4: ऑनलाइन पोर्टल का प्रबंधन

ऑनलाइन पोर्टल का प्रभावी एवं सार्थक प्रबंधन करने के लिए न्यूनतम पांच तकनीकी कर्मियों की अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता है।